कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/युगलपीठ/ /2024 दि0 लखनऊः 12 जनवरी, 2024

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशॉक 1519/2023 दिनांक 30–11–2023 के द्वारा निम्नांकित जनपद–नोएडा में युगलपीठ का गठन **दिनांक 22–01–2024 से 25–01–2024** तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, मेरठ एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, नोएडा को एवं **जनपद–कानपुर में** युगलपीठ का गठन **दिनांक 22–01–2024 से 25–01–2024** तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ झांसी एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, कानपुर को नामित किया गया था।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग सं0 528 दिनांक 04 दिसम्बर 2023 द्वारा अवकाश कलेण्डर वर्ष 2024 के लिए जारी विज्ञप्ति के आलोक में सार्वजनिक अवकाशों की सूची में **दिनांक 25–01–2024 को मो0 हजरत अली के जन्म दिवस एवं शासनादेश दिनांक 12–01–2024 द्वारा अयोध्या में "भगवान राम मन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा" के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित** किया गया है। अतः उक्त **दिनांक 22–01–2024 से 25–01–2024** तक नोएडा एवं कानपुर में गठित युगलपीठें तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालयों/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0–12–01–2024,
(रणधीर सिंह)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त/91 /2024 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यालय–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 व 2, नोएडा।
2– कार्यालय–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, 2, 3 व 4 कानपुर।
3– मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/नाजिर, मुख्यालय।
4– वेब–अधिकारी, मुख्यालय।
5– संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव/राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।